

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय, बुरहानपुर के प्रतिलिपि अनुविभाग, बुरहानपुर में निजी फोटोकॉपी कार्य करवाया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस स्थापना पर फोटोकॉपी मशीन स्थापित कर उक्त कार्य करने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर में कार्यदिवस के दौरान उपरिथित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार निविदा दिनांक—25.04.2025 साथं 05:00 बजे तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर के कार्यालय में जिला नाजिर के पास जमा कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक—26.04.2025 को प्रातः 11:00 बजे निविदाकर्ता / अधिकृत प्रतिनिधि(यदि उपरिथित हो तो) के समक्ष खोला जावेगा।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाइट www.mphc.in एवं burhanpur.dcourts.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

Abul
18/3/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक—Reg(IT)(SA)/2024/938,

दिनांक—02.07.2024 के निर्देशानुसार जिला न्यायालय में आउटसोर्स से प्रतिलिपि कार्य के
लिए शर्तें :-

01. एक बंद लिफाफे में सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10,000/- (दस हजार रुपये) की बैंक ग्यारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 6 माह की अवधि के लिए वैद्य हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय बुरहानपुर में आवश्यक रूप से दिनांक—25.04.2025 को सायं 05:00 बजे तक जमा हो जानी चाहिये। अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश, की निविदाएँ निरस्त की जावेगी।

02. निविदाएँ दिनांक—26.04.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे जिला न्यायालय की गठित समिति अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में उन सभी उपरिक्षित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाएँ प्रस्तुत की हैं अगर उपरिक्षित हो तो उनके समक्ष खोली जावेंगी। निविदा की नियम, शर्तें एवं दरों में कांटछांट, परिवर्तन या सुधार नहीं होना चाहिये। सभी प्रारूप/संलग्नक—1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संरक्षा की सील होनी चाहिए।

03. जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, उसे संस्वीकृति पत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉरमेंस ग्यारंटी के रूप में पौँच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक ग्यारंटी एफ.डी.आर./अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पक्ष में देनी होगी। परफॉरमेंस सुरक्षा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए वैद्य होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व, यदि हो, भी शामिल होंगे।

04. संरक्षा द्वारा प्रतिलिपि प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय देयकों को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पुथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिये।

05. फोटोकॉपी मशीन जिला न्यायालय परिसर में निर्देशानुसार चयनित स्थल पर स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।
06. दर का अनुबंध, दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तों पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
07. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्धन नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार देय कर काटा जावेगा। सिर्फ संवैधानिक देयकों जो कि शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अतः संख्या जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिए प्रभारी रख सकें, वही आवेदन करें।
08. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य के अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है, परंतु ठेकेदार को बिना रुकावट के कार्य को संपन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि कार्यालय के कार्य में रुकावट न हो।
09. कोई परिवहन या अन्य व्यय देय नहीं होंगे।
10. ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रखरखाव/मरम्मत के लिए जिम्मेदार होगा। स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जी.एस.एम.), टोनर, स्टेप्लर पिन और अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में फोटोकॉपी संचालन में दक्ष व्यक्ति को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार प्रतिलिपि अनुभाग के कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई निजी कार्य नहीं कर सकेगा।

12. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फोटोकॉपी कार्य कार्यालय में आसानी से हो सके और कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न हो अगर कार्य में रुकावट होगी तो 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी अधिरोपित की जावेगी इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार की दर से ज्यादा मूल्य आने पर वह राशि लंबित बिलों/संस्था की परफॉरमेंस सुरक्षा निधि से काटी जावेगी।
13. आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए जिस फोटोकॉपी मशीन की स्थापना की जानी है वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिये और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु क्य की गई मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।
14. संस्था द्वारा लगाई जाने वाली फोटोकॉपी मशीन की बनावट और मॉडल की जानकारी सर्विस टेक्स का प्रमाण टिन नंबर और केन्द्र साशित मंत्रियों/अन्य सरकारी कार्यालयों/अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था जिनको की ठेकेदार द्वारा फोटोकॉपी की आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान की गई हो के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टिपूर्ण कार्य की रिपोर्ट, पूर्ण विवरण जैसे पता, ऐसे व्यक्ति का नाम जिससे संपर्क किया जा सके, इस निविदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए।
15. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुंच पाये और उनका दुरुपयोग न हो। इस शर्त का उल्लंघन पर कठोर परिणाम भुगतना होंगे और अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी./निष्पादन प्रतिभूति और लंबित बिलों को छोड़कर समाप्त किया जा सकेगा।
16. अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के कोई भी अनैतिक, भ्रष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा और उसे ब्लेकलिस्टेड किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
17. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना उपपट्टे को अमान्य किया जावेगा।

18. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि कोई घटना घटित होती है, किसी की मृत्यु अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गई छूट के अतिरिक्त समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
19. जिला न्यायालय केवल विद्युत एवं खाली स्थल/जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।
20. किसी भी पक्ष द्वारा 01 माह पूर्व सूचना दी जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
21. ठेकेदार या उसके स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
22. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के कार्य, व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वे 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस उसे दे सकते हैं और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि पेनल्टी अधिरोपित कर सके एवं अन्य उचित कार्यवाही कर सके।
23. संचालनकर्ता ठेकेदार का यह दायित्व है कि प्रतिमाह निर्धारित दर पर त्रुटि रहित बिल प्रस्तुत करेगा।
24. फोटोकॉपी कार्य में अस्पष्ट प्रिंटिंग होने एवं वेस्ट पेपर/प्रिंटिंग के कार्य का संपूर्ण दायित्व संचालनकर्ता का होगा, अस्पष्ट/वेस्ट प्रिंटिंग का कोई शुल्क देय नहीं किया जावेगा।
25. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है और यदि पृष्ठ या प्रिंटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो तो अनुबंध में वर्णित अन्य अधिकार को सुरक्षित रखते हुए 200/- रुपये

प्रति घटना/प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा।

26. अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।

27. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समर्त नियम अधिनियमों का अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा। यदि ठेकेदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संशोधित अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियोक्ता (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को क्षतिपूर्ति देगा।

28. अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से अगर जिला न्यायालय की किसी संपत्ति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं के व्यय से पूर्ति करना होगा।

29. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेंगे।

30. यदि दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जावेगा, परंतु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ (सोल आरबीट्रेटर) जो कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर द्वारा तत्समय नियुक्त किये जायेंगे, के समक्ष रखा जावेगा और उनके द्वारा दिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।

31. संचालनकर्ता ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन की जाने वाली प्रतिलिपि का रजिस्टर संधारित करेगा और प्रतिलिपिकार एवं उपप्रशासनिक अधिकारी से जांच करवायेगा।

31. संधारित रजिस्टर में किसी प्रकार की कांट-छांट या ओवर राईटिंग नहीं करेगा।

Ans
18/3/25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर म.प्र.

:: OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE,
Burhanpur (M.P.) ::

// ANNEXURE-1 //

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSOURCE
PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quotation of the Tender (INCLUSIVE OF ALL TAXES) :

S.No.	Particulars	Rate per copy with Paper (A-4 size J.K/ orient/bilt matrix Board paper, 75 gsm)	Rate per copy with (legal size of J.K/ orient/bilt matrix Board paper, 75 gsm Paper)
1-	Single side photocopy on one sheet		
2-	Photocopy on back to back side on one sheet		

2- Machine Model No. and
Make _____

3- Earnest money details :

_____ date _____ for _____

Rs. 10,000/- Name of
Bank _____

4- PAN No. _____

5- TIN No. _____

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature _____

Name & Address with seal & Date _____

Phone (O) _____

(M) _____

(R) _____